

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 जून, 2008
संख्या-2/टी- 37 — /08- 1110(2) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी को पति-पत्नी के सरकारी सेवा में रहने पर एक ही जगह के लिए अभ्यावेदनो पर विचारोपरान्त स्तंभ 4 में अंकित जिलो से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1.	डा० जितेन्द्र मोहन सिंह		सारण	पटना
2.	डा० अमर नाथ प्रसाद	Bhojpur	रोहतास	पटना
3.	डा० उपेन्द्र सिंह	Samastipur	प० चम्पारण	दरभंगा
4.	डा० राज कुमार प्रसाद	Jehanabad	नवादा	पटना
5.	डा० निर्मला कुमारी सिंह	Khagaria	गया	रोहतास
6.	डा० बिन्दु आर्य	Nawada	जहानाबाद	पटना
7.	डा० संजय कुमार चौधरी	MD	रोहतास	जमुई
8.	डा० (श्रीमती) हेमलाता वर्मा		नवादा	जमुई
9.	डा० ज्योत्सना कुमारी सिन्हा	Khagariya	बेगुसराय	खगड़िया
10.	डा० ब्रज कुमार	Samastipur	गया	जहानाबाद
11.	डा० संजय कुमार		मेडिकल कॉलेज, पावापुरी	चि०शि० से सेवा वापस लेकर पटना
12.	डा० रौशन कुमार		मेडिकल कॉलेज, नालन्दा	चि०शि० से सेवा वापस लेकर दरभंगा
13.	डा० अनन्त कुमार झा	Darbhanga	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
14.	डा० सीमा सरोज		सीवान	वैशाली
15.	डा० मधुसूदन कुमार साहा	Patna	बाँका	वैशाली
16.	डा० (श्रीमती) भारती गुप्ता	Patna	बाँका	पटना
17.	डा० नवीन चन्द्र प्रसाद	Nalanda	शेखपुरा	पटना
18.	डा० (श्रीमती) प्रतिभा कुमारी	Nalanda	मुजफ्फरपुर	पटना
19.	डा० आनन्द कुमार भगत	Saharsa	सुपौल	मधेपुरा
20.	डा० रंजना कुमारी	Saharsa	सुपौल	मधेपुरा

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलो को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी ।

2. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्स पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

3. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

4. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

5. चूँकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

6. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 1110(2)

पटना, दिनांक 30-6-08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक/ विभाग के सभी पदाधिकारी/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2/3/9 एवं कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।